का॰ज्ञा॰ सं॰ 12021/1/2004-रा॰भा॰ (का-2), दिनांक 31.12.04

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-6 में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड-6 में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश भी की है:-

संस्तुति सं॰ 11.5.5: कुछ कार्यालयों में अभी भी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए तथा उल्लंघन करने पर प्रशासनिक जिम्मेदारी ठहरायी जानी चाहिए।

आदेश: समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस आशय के आदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श दिया जाए कि वे भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचें। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा पुन: निदेश जारी किए जाएं।

उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा दिनांक 26 जून, 1990 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 12024/10/90-रा॰भा॰/ख-2, सं॰ 12024/12/92 रा॰भा॰/ख, दिनांक 6 अप्रैल, 1992 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 12024/2/92-रा॰भा॰/ख-2 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था लेकिन संसदीय राजभाषा समिति के अनुसार कुछ कार्यालयों में अभी भी उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आदेशों की अवहेलना का यह गंभीर मामला है।

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से पुन: अनुरोध है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का (जिसके तहत कुछ कागजात हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किए जाने अनिवार्य हैं) अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन प्रावधानों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श दिया जाए कि वे भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचें।

कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की जानकारी अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/नियंत्रणाधीन निगमों आदि को भी दें तथा इससे संबंधित एक प्रति राजभाषा विभाग को भी उपलब्ध करवा दें।